:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 27/21

दायर दिनांकः– 29.11.2021
निर्णय दिनांकः– 20.05.2022

1. श्री रामचन्द्र डामोर पिता हलिया डामोर जाति मीणा आयु 42 वर्ष निवासी धनगांव तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान

बनाम

1. श्री राजेन्द्र पिता नाथु खराडी निवासी ससलाई पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
2. बाबरी पिता नाथु खराडी निवासी ससलाई पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
3. मसुरी पत्नि स्व. नानु खराडी निवासी ससलाई पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
4. मोतीलाल पिता नानु खराडी निवासी ससलाई पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 251 क राज. काश्त. अधिनियम

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी गांव धनगांव व प्रतिवादीगण ग्राम ससलाई पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम भाथी व देवली की मौत होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा धनगांव में खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 1968/1784 रकबा 0.3236 है0 होकर स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

यह कि वादी के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या दो में अंकित आराजी में वादी ससलाई–धनगांव डामर से होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी मौजा ससलाई, खाता संख्या 43, खसरा नम्बर 490/66, रकबा 0.8090 है0 में दक्षिण की ओर किनारे होकर बिलानाम आराजी नम्बर मौजा धनगांव खसरा नम्बर 1784 किस्म मगरी से होकर पुराने पैदल आवाजाही रास्ते से वादी अपनी खातेदारी आराजी मौजा धनगांव में खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 1968/1784 रकबा 0.3236 है0 में आना जाना करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की आराजी उक्त खसरा नम्बर 490/66 कृषिभूमि में होकर 60 वर्षो से वादी के पूर्वज आना जाना करते आ रहे है। जिस पर वादी ने नक्शा ट्रेस में दर्शित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बात की तो रास्ता दर्ज करने को तैयार हो गए है। जिससे वाद के जरीये खातेदारी आराजी व बिलानाम भूमि में रास्ता दर्ज करने वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जो मयाद अवधि में पेश है।

यह कि वादी ससलाई–धनगांव डामर से होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी मौजा ससलाई, खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 490/66, रकबा 0.8090 है0 में दक्षिण की ओर किनारे होकर बिलानाम आराजी नम्बर मौजा धनगांव, खसरा नम्बर 1784 किस्त मगरी से होकर पुराने पैदल आवाजाही रास्ते से वादी अपनी खातेदारी आराजी मौज धनगांव में खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 1968/1784 रकबा 0.3236 है0 तक ट्रेक्टर एवं अन्य साधनो के आने के लिए पहूंच सडक 15 फिट चौडे आम रास्ते को नियमानुसार रिकॉर्ड में दर्ज करने पर वादी उक्त रास्ते की आने वाली भूमि का सरकारी डीएलसी के अनुसार मुल्य देने को तैयार है।

वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद के साथ जमाबन्दी संवत 2075 (वर्ष 2019) नक्शा ट्रेस संलग्न किये। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी 1 से 4 बाद तामिल अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार चिखली ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी (लेण्ड हॉल्डर/तहसीलदार) के जवाब के अनुसार

अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

मौजा ससलाई के खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 490/66 रकबा 0.8090 है0 किस्म सुखी तृ में खातेदार मोतीलाल पिता नानु, मसुरी बेवा नानु 1/5 हि.ब., एवं राजेन्द्र, देवली, बाबरी पिता नाथु 3/5 हि.ब. भाथी पिता सोका 1/5 हि.ब. जाती मीणा दर्ज है।

उक्त खसरे में से लम्बाई 297 फीट चौडाई 13 फीट कुल 3861 वर्गफीट अर्थात 0.0358 है0 पर आवाजाही हेतु पगडण्डी रास्ता बना हुआ है।

खसरा नम्बर 1784 किस्म बिलानाम मगरी उक्त खसर के सीमा पर अवस्थित है एवं इस खसरे में से 1968/1784 रकबा 0.3236 है0 वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है।

वादी की ओर से अधिवक्ता व प्रतिवादी (तहसीलदार) की बहस सुनी गई। वादी ने वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को बहस में दोहराते हुये रास्ता दर्ज किये जाने निवेदन किया व नियमानुसार राशि जमा किये जाने सहमति प्रदान की। प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दुओं में अपनी सहमति प्रदान करते हुये रास्ता दिये जाने बाबत् डी.एल.सी. दर का दो गुना भुगतान किये जाने पर सहमति दी। प्रतिवादी के जवाब व बहस के आधार पर वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित रास्ता दिये जाने प्रतिवादी की उपयुक्तता के आधार पर सहमति भी प्रतीत होती है।

वाद पत्र का गहन अध्ययन किया गया। प्रतिवादी के जवाब पर वादी के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया, पक्षकारान की बहस के बिन्दुओं पर भी घोर किया गया। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर वाछित रास्ता लम्बे समय से चला आ रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

अतः राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत डीएलसी दर की दुगुना राशि जमा किये जाने की शर्त पर रास्ता अधिकतम 30 फीट तक दिये जाने के प्रावधान होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है। मौजा ससलाई खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 490/66, रकबा 0.8090 है0 में लम्बाई 297 फीट, चौडाई 15 फीट को राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार चिखली वाद वर्णित क्षेत्रफल की डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रतिवादीगण (खातेदार) को भुगतान किये जाने की प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत करने पश्चात ही राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली, डूंगरपुर